

(11)

(4)

संख्या /XI/13/56(21)/2011 टी0सी0-1

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

आजीविका

प्रंजीकरण संख्या: 1750

दिनांक: 11/1/13

पत्रावली:

शाखा: N-Finance/CEO

सेवा में,

परियोजना निदेशक
हिमालयी आजीविका सुधार परियोजना
उत्तराखण्ड देहरादून।

8/1/13

ग्राम्य विकास अनुभाग देहरादून दिनांक जनवरी 2013
विषय:- समेकित आजीविका सहयोग परियोजना हेतु ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत केन्द्रीय परियोजना समन्वयन इकाई (Central Project Coordination Unit-CPCU) का बैंक खाता खोलने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 1774/02-1.1.5/2012-13 दिनांक 30.1.2013 का संन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त के संन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समेकित आजीविका सहयोग परियोजना के संचालन व वित्तीय प्रवाह हेतु परियोजना का देहरादून के किसी राष्ट्रीयकृत में नियमानुसार खाता खोलने की औपचारिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या ⁴⁹⁷ /XI/13/56(21)/2011 टी0सी0-1 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, पौड़ी।
7. परियोजना निदेशक आजीविका परियोजना एवं प्रबन्ध निदेशक, उपासक 272 सी, फेज-2 बसन्त विहार देहरादून।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक/जिला विकास अधिकारी उत्तराखण्ड।
10. समस्त वरिष्ठ कोंषाधिकारी/कोंषाधिकारी उत्तराखण्ड।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0एस0शर्मा)

अनु सचिव।